****

**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

**नवजीवन अमृत जयंती भवन, पहली मंजिल, पोस्ट बैग सं. 10, नवजीवन डाकघर,**

**अहमदाबाद – 380014**

**फोन नं. 079-27549900-9999**

**www.sidbi.in**

अचल और चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 (2002 का 54) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम के साथ पठित के अंतर्गत बैंक को बंधक/दृष्टिबंधक अचल/चल संपत्तियों (प्रतिभूत आस्तियों) की बिक्री, **ई-नीलामी** के माध्यम से

यतः, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत हमारी अहमदाबाद शाखा के निम्नलिखित ऋण खाते में जारी नोटिस के पश्चात निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक कब्जा इस अधिकार के साथ ले लिया था कि बैंक की प्राप्य राशियों की ब्याज सहित, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, वसूली हेतु उक्त संपत्ति की “**जैसी है जहां है** **और** **जो है सो है**” आधार पर बिक्री की जाए और यतः उधारकर्ता/ बंधककर्ता द्वारा देयराशियों की चुकौती में विफल रहने के पश्चात, अधोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13(4), प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8 तथा 9 के साथ पठित, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री के जरिए बैंक की प्राप्य राशियों की वसूली का प्रस्ताव करता है। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी, जो [https://sidbi.auctiontiger.net](https://sidbi.auctiontiger.net/) नामक वेबसाइट पर उपलब्ध है [**संपत्ति का विवरण ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है**]।

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| उधारकर्ता का नाम और पता | **कैंबे एसईजेड होटल्स प्रा. लि.**   |  |  | | --- | --- | | **पंजीकृत कार्यालय** | **स्थल कार्यालय** | | **कैंबे स्क्वैयर, प्लॉट सं. X-22, 23, 24, जीआईडीसी, इलेक्ट्रॉन सेक्टर – 25, गांधीनगर - 382044**  **गुजरात** | **प्लॉट सं. जेड/4/1, दहेज एसईजेड, भरुच, गुजरात** | |
| सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत माँग नोटिस की तारीख | **06 मार्च 2014** |
| बकाया राशि | यथा 06.03.2014 को रु.13,31,88,723.70 और उस पर 07.03.2014 से भावी ब्याज |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| संपत्ति का विवरण तथा आरक्षित मूल्य, बयाना राशि एवं बोली वृद्धि राशि | | | | | | | |
| **क्रम सं.** | **विवरण** | | | **आरक्षित मूल्य (रु.)** | | **बयाना राशि**  **(रु.)** | **बोली वृद्धि राशि**  **(रु.)** |
| 1 | **क) दहेज के गैर-प्रोसेसिंग एरिया में स्थित प्लॉट सं. जेड/4/1, जिसका राजस्व सर्वे सं. 571/ पी + 572/ पी+ 575/ पी + 576/ पी है और जो लगभग 26302.61 वर्ग मीटर का है, पर स्थित संपूर्ण अचल संपत्ति, उस पर निर्मित भवन / ढाँचों सहित, जो कि गुजरात राज्य के रजिस्ट्रेशन उप-जिला बागरा तथा जिला भरुच के तालुका वागरा के मौजे: दहेज की ग्राम सीमा के भीतर है औऱ जो कैंबे एसईजेड होटल्स प्रा.लि. (हॉस्पिटलिटी यूनिट – होटल) की है।**  **ख) उक्त अवस्थिति पर स्थित सभी चल संपत्तियाँ, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, विविध स्थिर आस्तियाँ अर्थात् (i) फर्नीचर और फिक्सचर (ii) किचन तथा रेस्टोरेंट उपकरण, (iii) इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल आइटम, (iv) जिम तथा स्पोर्ट्स उपकरण जो कैंबे एसईजेड होटल्स प्रा.लि. के हैं।** | | | **13,50,00,000/-** | | **1,35,00,000/-** | **5,00,000/-** |
| **बयाना राशि प्रेषण हेतु खाता विवरण** | | | **लाभार्थी का नाम –** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  **लाभार्थी का खाता सं.** 0142011043400  **लाभार्थी के बैंक और शाखा का नाम** – आईडीबीआई बैंक, सी.जी. रोड, अहमदाबाद  **आईएफएससी कोड** – IBKL0000375 | | | | |
| **निरीक्षण की तारीख** | | **बयाना राशि / दस्तावेज (केवाईसी सहित) की प्रस्तुति की अंतिम तारीख** | | | **ई-नीलामी की तारीख** | | |
| **07. 12. 2016 तथा**  **21.12.2016**  **पूर्वाह्न 11.30 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक** | | **23. 12. 2016 को अपराह्न 5.45 बजे तक**  **कार्यालय का पता :**  **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अहमदाबाद शाखा कार्यालय, नवजीवन अमृत जयंती भवन, पहली मंजिल, पोस्ट बैग सं. 10, नवजीवन डाकघर,**  **अहमदाबाद – 380014** | | | **28. 12. 2016**  **पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक**  **वेबपोर्टल का नाम**  [**https://sidbi.auctiontiger.net**](https://sidbi.auctiontiger.net/)  **(संपत्ति ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है)** | | |

निबंधन और शर्तें:

1. संपत्तियाँ “**जैसी है जहां हैं”** और **“जो है सो है”** आधार पर बेची जाती हैं और यह बोलीकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि बोली प्रस्तुत करने से पहले निरीक्षण कर संपत्तियों, क्षेत्रफल, अवस्थिति, तथा विशिष्टताओं के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें।
2. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार, उक्त संपत्ति पर सिडबी के अलावा अन्य किसी का प्रभार नहीं है। तथापि, बोली प्रस्तुत करने से पहले इच्छुक बोलीकर्ता संपत्ति(यों) की भारिता, स्वत्वाधिकार और संपत्ति को प्रभावित करने वाली भारिता, दावों, अधिकारों, देयराशियों, दहेज एसईजेड लि. सहित, आदि के विषय में अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर स्वयं को संतुष्ट कर लें।
3. नीलामी के अंत में सफल बोलीकर्ता अपने पक्ष में बोली का निर्णय होन पर उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्यदिवस में बोली राशि का 25% (जिसमें पहले से जमा बयाना राशि शामिल है) अदा करेगा और शेष राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के भीतर अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करेगा, जिस पर खरीदार एवं प्रतिभूत लेनदार के बीच लिखित सहमति हो जाए और यह किसी भी स्थिति में तीन माह से अधिक नहीं होगी।
4. सफल बोलीकर्ता / खरीदार सभी सांविधिक देयों, रजिस्ट्रेशन प्रभार, स्टांप शुल्क, कर, आदि का वहन करेगा। प्राधिकृत अधिकारी / बैंक उक्त संपत्तियों से संबंधित किसी सरकारी देय / सांविधिक देय, एसईजेड देय आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

बोली कैसे प्रस्तुत करें

1. **इच्छुक बोलीकर्ता बयाना राशि सिडबी को एनईएफटी / आरटीजीएस के जरिए अथवा “भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक” के पक्ष में और सिडबी के अहमदाबाद कार्यालय में देय मांग ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के जरिए अदा करेंगे। इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे – (1) बयाना राशि जमा करने का प्रमाण- एनईएफटी / आरटीजीएस का यूटीआर नं., (2) पैन कार्ड / फॉर्म 60, (3) नवीनतम पते का प्रमाण । साथ ही, उन्हें इनकी स्कैंड प्रतियाँ तैयार रखनी होंगी, जो उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय** [**https://sidbi.auctiontiger.net**](https://sidbi.auctiontiger.net) **पर अपलोड करनी होंगी, ताकि उन्हें लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल सके (जो बोली प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगा) ।**
2. **केवल वे इच्छुक बोलीकर्ता ई-बोली में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, जिनके पास वैध यूजर आईडी और पासवर्ड एवं एनईएफटी / आरटीजीएस / माँग ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के जरिए बयाना राशि के भुगतान की पुष्टि होगी।**
3. जिन इच्छुक बोलीकर्ताओं ने बयाना राशि जमा कर दी हो और उन्हें लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने, डाटा अपलोड करने तथा निविदा प्रस्तुत करने के लिए सहायता, ई-निविदा प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि की आवश्यकता हो, वे **मै. ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉज़ीज़ लि., ए/801, वाल स्ट्रीट – 2, ऑरिएन्ट क्लब के सामने, , गुजरात कॉलेज के निकट, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 सहायता हेतु फोन नं. 079-40230816/817/818/813/814/815/820/821/822, हेल्पलाइन ई-मेल आईडी:** [**support@auctiontiger.net**](mailto:support@auctiontiger.net) **अथवा** [**gujarat@auctiontiger.net**](mailto:gujarat@auctiontiger.net) **श्री जिग्नेश जरीवाला 09537046315 श्री रिकिन 997859188 से संपर्क करें। संपत्ति संबंधी पूछताछ के लिए कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें : श्रीमती सुधा पद्मनाभन (उप महाप्रबंधक), टेलीफोन नं.: 27549908, ई-मेल:** [**sudha@sidbi.in**](mailto:sudha@sidbi.in)**, डॉ. डी. मिश्रा (सहायक महाप्रबंधक), टेलीफोन नं.: 27549942, ई-मेल: dsmishra@sidbi.in, श्री राजा बालन (प्रबंधक) फोन: 27549909, ई-मेल: ddlraja**[**@sidbi.in**](mailto:@sidbi.in) **ऑक्शनटाइगर के टॉल फ्री नं. : 18001035342 पर संपर्क किया जा सकता है।**
4. बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि विस्तृत निबंधन और शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट[www.sidbi.in](http://www.sidbi.in/) (tenders) **और** https://sidbi.auctiontiger.net देखें। (संपत्ति का विवरण Auction Tiger MobilE App पर भी उपलब्ध है।)

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिन का सांविधिक बिक्री नोटिस**

**उधारकर्ता /गारंटीकर्ताओं को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित राशि, अद्यतित ब्याज और आनुषंगिक व्ययों सहित ई-नीलामी की तारीख से पहले जमा करें, अन्यथा उक्त संपत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और शेष देय राशियाँ, यदि कोई हों, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी।**

दिनांक : 19.11**.2016**

स्थान : अहमदाबाद

ह0/-

प्राधिकृत अधिकारी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

[ख] बिक्री हेतु विज्ञापित संपत्ति के विवरण सहित संपत्ति की रूपरेखा

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **लॉट सं.** | **विवरण** | |
| 1 | अचल/चल संपत्ति की अवस्थिति | क) दहेज के गैर-प्रोसेसिंग एरिया में स्थित प्लॉट सं. जेड/4/1, जिसका राजस्व सर्वे सं. 571/ पी + 572/ पी+ 575/ पी + 576/ पी है और जो लगभग 26302.61 वर्ग मीटर का है, पर स्थित संपूर्ण अचल संपत्ति, उस पर निर्मित भवन / ढाँचों सहित, जो कि गुजरात राज्य के रजिस्ट्रेशन उप-जिला बागरा तथा जिला भरुच के तालुका वागरा के मौजे: दहेज की ग्राम सीमा के भीतर है औऱ जो कैंबे एसईजेड होटल्स प्रा.लि. (हॉस्पिटलिटी यूनिट – होटल) की है।  ख) उक्त अवस्थिति पर स्थित सभी चल संपत्तियाँ, संयंत्र और मशीनरी, उपकरण, विविध स्थिर आस्तियाँ अर्थात् (i) फर्नीचर और फिक्सचर (ii) किचन तथा रेस्टोरेंट उपकरण, (iii) इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल आइटम, (iv) जिम तथा स्पोर्ट्स उपकरण जो कैंबे एसईजेड होटल्स प्रा.लि. के हैं। |
|  | कुल देय | यथा 06.03.2014 को रु.13,31,88,723.70 और उस पर 07.03.2014 से भावी ब्याज |

[ग] विस्तृत निबंधन और शर्तें

1. सिडबी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में यदि आवश्यक समझे तो किसी भी शर्त को आशोधित / संशोधित / समाप्त कर दे। यदि आस्थगित भुगतान आधार पर आस्तियों को खरीदने का किसी क्रेता का प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो सिडबी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्ताव को रद्द / संशोधित कर दे। सिडबी को यह भी अधिकार होगा कि क्रेता के बैंकर(रों) से असंतोषजनक रिपोर्ट मिलने या अन्य किन्हीं वैध कारणों से बोली को आशोधित / संशोधित/ रद्द कर दे।
2. ऐसे इच्छुक बोलीकर्ता, जिन्होंने अपनी बयाना राशि, आवश्यक दस्तावेजों के साथ 23.12.2016 को अपराह्न 5.45 बजे तक जमा कर दी है, ई-बोली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। उक्त संपत्तियों की ई-नीलामी ठीक निर्धारित तिथि और समय पर होगी, जो कि ऊपर उल्लिखित है। यह उक्त बोलीकर्ताओं के बीच बोली के माध्यम होगी। बोलीकर्ता प्रत्येक संपत्ति के समक्ष “बोली वृद्धि राशि” कॉलम के अंतर्गत अंकित राशि के गुणकों में अपने प्रस्ताव में वृद्धि करेंगे। यदि निर्धारित समय समाप्त होने के अंतिम 10 मिनट में बोली प्रस्तुत की जाती है, तो बोली समाप्त होने का समय स्वयमेव 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा (10-10 मिनट के कितने भी विस्तार हो सकेंगे)। ई-नीलामी प्रक्रिया संपन्न होने पर जिस बोलीकर्ता की बोली अधिकतम राशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) की होगी, उसे सफल बोलीकर्ता घोषित किया जाएगा और इस आशय का पत्रादि जारी किया जाएगा, जो कि प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार के अनुमोदन के अधीन होगा।
3. **सफल बोलीकर्ता की बयाना राशि को बिक्री से आंशिक प्राप्ति के तौर पर सुरक्षित रख लिया जाएगा, और असफल बोलीकर्ताओं की बयाना राशि लौटा दी जाएगी। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार कर लिए जाने पर सफल बोलीकर्ता को बिक्री राशि का 25%, पहले से जमा बयाना राशि को समायोजित करते हुए, उसी दिन अथवा अधिकतम अगले कार्य दिवस में जमा करना होगा और बिक्री राशि का शेष 75% बिक्री की पुष्टि की तारीख के 15वें दिन या उससे पहले अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जमा करना होगा, जिस पर खरीदार तथा प्रतिभूत लेनदार के बीच लिखित रूप में सहमति हो जाए, जो कि किसी भी स्थिति में 3 माह से अधिक नहीं होगी।**
4. **सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में चूक होने पर, उक्त प्रस्तावक द्वारा पहले से जमा राशि जब्त की जा सकेगी और संपत्ति की पुनः नीलामी की जाएगी और चूक करने वाले बोलीकर्ता का उक्त संपत्ति / राशि पर कोई दावा / अधिकार नहीं होगा। चूंकि बिक्री सिडबी की पुष्टि के अधीन है, अतः प्रस्तावों को खुला समझा जाएगा। क्रेता इन आस्तियों के संबंध में किसी भारिता अथवा राज्य/केंद्र सरकार, एसईजेड अथवा किसी अन्य प्राधिकारियों के प्रति कोई देयराशि के संबंध में खुद को संतुष्ट करेगा और आस्तियों के अपने पक्ष में अंतरण का व्यय भी वहन करेगा।**
5. **भावी पात्र बोलीकर्ता ई-नीलामी की तारीख से पहले ई-नीलामी के संबंध में ऑन लाइन प्रशिक्षण मै. ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज़ लि. से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट नेटवर्क संबंधी किसी समस्या के लिए न तो प्राधिकृत अधिकारी / बैंक और न ही मै. ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज़ लि. उत्तरदायी होंगे और इच्छुक बोलीकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि ई-नीलामी में भाग लेने के लिए वे तकनीकी तौर पर पर्याप्त रूप से तैयार हैं।**
6. **सभी बोलीकर्ताओं के संबंध में यह समझा जाएगा कि उन्होंने बिक्री की निबंधन और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे आबद्ध होंगे।**
7. **इस संपत्ति के संबंध में लागू स्टांप शुल्क / अंतरण प्रभार, शुल्क आदि तथा सभी सांविधिक / गैर- सांविधिक देयों, करों, दरों, आकलन प्रभार, शुल्क, दहेज एसईजेड प्रभार आदि, जो किसी को भी देय हों, का वहन क्रेता द्वारा किया जाएगा।**
8. **बिक्री हेतु प्रस्तावित उक्त संपत्तियों / आस्तियों के संबंध में कोई अनुमति / लाइसेन्स, अनुमोदन प्राप्त करने की अथवा उक्त संपत्ति / आस्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की देय राशियों के निपटान की सिडबी की कोई जिम्मेदारी नहीं है।**
9. **बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बोली प्रस्तुत करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पहले मै. ई प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. के वेब पोर्टल** [https://sidbi.auctiontiger.net](https://sidbi.auctiontiger.net/), अथवा हमारी बेवसाइट www.sidbi.in (निविदाएं) पर उपलब्ध ई-नीलामी की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लें।
10. यह प्रकाशन अप्रत्याशित घटना संबंधी प्रावधान (फोर्स मेज्योर क्लॉज) के अधीन है।
11. बिक्री की शर्तों को पूरा न करने वाले प्रस्ताव / बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने के बाद प्रस्ताव में किसी प्रकार के परिवर्तन / संशोधन के विषय में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. प्रस्तुत की गई बोलियों को न रद्द किया जा सकेगा और न वापस लिया जा सकेगा। बोलीकर्ता को दिए गए यूजर आईडी से प्रस्तुत की गई सभी बोलियाँ उक्त बोलीकर्ता द्वारा ही प्रस्तुत की गई मानी जाएंगी।
13. बिक्री प्रमाणपत्र उसी नाम पर जारी किया जाएगा जिस नाम से बोली प्रस्तुत की गई है।
14. **इच्छुक बोलीकर्ता** <https://sidbi.auctiontiger.net> पर अपने नाम रजिस्टर कराएं और निःशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। उन्हीं बोलीकर्ताओं को उक्त पोर्टल पर ऑन लाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी, जिनके पास वैध आईडी और पासवर्ड होंगे, जो उन्हें **मै. ई प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ने पैन के सम्यक सत्यापन के बाद इस नीलामी के लिए प्रदान किए हों।**
15. **अंतिम क्षणों में बोली प्रस्तुत करने से बचा जाए, यह बोलीकर्ताओं के अपने ही हित में होगा क्योंकि न तो भारतीय लघु उद्य़ोग विकास बैंक और न ही सेवा प्रदाता (मै. ई प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज लि.) किसी त्रुटि / विफलता ( इंटरनेट / विद्युत आपूर्ति बाधित होने आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी आकस्मिकताओं से बचने के लिए बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था /विकल्प जैसे विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था आदि तैयार रखें, ताकि वे नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।**
16. **असफल बोलीकर्ताओं को बयाना राशि की वापसी :** सामान्यतः ई-नीलामी के 7 कार्य-दिवस के भीतर। यदि किसी भी कारण से बयाना राशि की वापसी में विलंब होता है तो बोलीकर्ता किसी ब्याज के हकदार नहीं होंगे।
17. प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि प्रस्ताव में और वृदधि करने के लिए वह सर्वोच्च बोलीकर्ता से मोल-तोल कर सके, ताकि सार्वजनिक धन की अधिकतम वसूली हो सके।
18. ई-नीलामी सिडबी के प्राधिकृत अधिकारी तथा इस प्रयोजन के लिए सिडबी द्वारा नियुक्त नीलामी एजेंसी के पर्यवेक्षण में संचालित की जाएगी। यदि कोई भी विवाद होता है तो वह केवल अहमदाबाद के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
19. इस दस्तावेज में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो सरफेसी अधिनियम, 2002 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में उनके लिए नियत किया गया है।
20. उक्त संपत्ति की खरीद के बाद क्रेता उक्त स्थल पर ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं करेगा, जो विधि द्वारा निषिद्ध हो। इसके अतिरिक्त, क्रेता दहेज एसईजेड लि. के नियमों और विनियमों से आबद्ध होगा।
21. नीलामी ‘सिडबी के अनुमोदन के अधीन’ प्रकृति की होगी, अर्थात् उच्चतम बोली को अंतिम रूप देकर तब तक रिकॉर्ड में रखा जाएगा जब तक कि प्राप्त सभी बोलियों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
22. बैंक / प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए बिक्री की पुष्टि से पहले कोई य़ा सभी निविदाएँ / बोलियाँ स्वीकार या अस्वीकार कर दे या ई-नीलामी बिक्री को रद्द कर दे। यदि बिक्री की निर्धारित तिथि से पहले ई-नीलामी का कार्यक्रम रद्द किया जाता है, तो यह केवल सिडबी, अहमदाबाद के सूचनापट्ट/ सिडबी की वेबसाइट [www.sidbi.in](http://www.sidbi.in) पर प्रदर्शित किया जाएगा।
23. सफल क्रेता द्वारा संपूर्ण बिक्री मूल्य का भुगतान तथा बिक्री संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण कर दिए जाने के बाद, उन्हें सरफेसी नियम, 2002 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार बिक्री प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
24. **इस नीलामी से उधार कर्ता/गारंटीकर्ता/दृष्टि बंधककर्ता/बंधककर्ता के विरुद्ध् ऋण वसूली अधिकरण में कार्रवाई करने और / अथवा वसूली प्रमाणपत्र, जो सिडबी द्वारा प्राप्त किया जाए, के अनुसार कार्रवाई करने अथवा अन्य कोई वसूली उपाय अपनाने के सिडबी के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।**
25. **जिन शर्तों / प्रावधानों का यहां उल्लेख नहीं है, उनके संबंध में सरफेसी अधिनियम 2002 तथा** प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 **के प्रावधान लागू होंगे।**

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 की धारा 13(8) की तरफ आकर्षित किया जाता है कि वे उपलब्ध समय में उक्त संपत्ति / संपत्तियो को redeem (रेडीम) करा सकते हैं ।

**सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिन का सांविधिक बिक्री नोटिस**

उधारकर्ता /गारंटीकर्ताओं को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित राशि, अद्यतित ब्याज और आनुषंगिक व्ययों सहित ई-नीलामी की तारीख से पहले जमा करें, अन्यथा उक्त संपत्ति की नीलामी / बिक्री कर दी जाएगी और शेष देय राशियाँ, यदि कोई हों, ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएंगी ।

दिनांक : 19.11.2016

स्थान : अहमदाबाद ह0/-

प्राधिकृत अधिकारी

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक